

E-Mail

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू०अ०नि० (1) यो०बजट (योजना)-02/2022.....1174.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
पटना / गोपालगंज / गया / हाजीपुर (वैशाली) / सिवान  
दरभंगा / सारण (छपरा) / समस्तीपुर  
बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
शिवहर / सहरसा / किशनगंज / सुपौल / पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / खगड़िया

पटना दिनांक :- 25/01/2023

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद में कुल- 2,48,67,400.00 (दो करोड़ अड़तालीस लाख सड़सठ हजार चार सौ) रूपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग
		01 01 वेतन	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	1500000	550000	300000	120000	5000	2475000
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	250000	—	80000	81000	—	411000
3	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	500000	—	125000	155000	—	780000
4	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)	220200	—	100000	122100	—	442300
5	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	302400	42500	—	48500	—	393400
6	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा	907800	208800	100000	255300	—	1471900



क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष					योग
		01 01 वेतन	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण (छपरा)	390000	174500	—	191500	—	756000
8	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर	310000	77500	77500	13000	—	478000
9	बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर	1594000	593000	500000	623100	—	3310100
10	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	1141000	577000	500000	97500	—	2315500
11	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	3234000	1109000	500000	78500	1700	4923200
12	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	1200000	31300	31300	10000	—	1272600
13	बन्दोबस्त कार्यालय, प०चम्पारण (बेतिया)	2471000	569000	500000	50100	—	3590100
14	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	1562000	360000	300000	26300	—	2248300
कुल योग :-		15582400	4292600	3113800	1871900	6700	24867400

(दो करोड़ अड़तालीस लाख सड़सठ हजार चार सौ) रुपये मात्र

- नोट :-1.** जीवन यापन भत्ता मद में अधियाचना के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता में आधिक्य राशि उपलब्ध कराया गया है, जिसे समेकित रूप से वेतन का भुगतान किया जा सकता है।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
  - अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
  - कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40- 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
  - बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
  - किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।



7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
11. आवंटित राशि से बकाया वेतन (एरियर) राशि की निकासी न की जाय। इसके लिए कर्मिवार ब्यौरा सहित अलग से राशि की माँग की जाय। यदि अलग से कर्मिवार आवंटन की माँग किए बिना उपलब्ध कराए गए आवंटन से एरियर की राशि की निकासी की जाती है तथा इस कारण वेतनादि मद में यदि आवंटन में कमी होती है तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 1/23  
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक :- 25/01/2023

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022..... 1174

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा)  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 1/23

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक :- 25/01/2023

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022..... 1174

प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 1/23

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक :- 25/01/2023

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022..... 1174

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 1/23

भू-अभिलेख एवं परिमाण



ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0(1)यो0बजट (योजना)-02/2022.....1174

पटना, दिनांक :- 25/01/2023

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण